कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः— 1646 / FP/UK/SCH/40755/2019 देहरादूनः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग—3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः— जनपद देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं0—1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 हे0 वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/SCH/40755/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु प्राचार्या, के0वी0 ऋषिकेश द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 2.41 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग / प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में वृक्षों का पातन निहित नहीं है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट—।। में अंकित सूचना के अनुसार वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या शून्य है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग—**I** से भाग—**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—**IV** पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति ~~प्राप्त~~ करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 11/12/20
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1646 / FP/UK/SCH/40755/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर—मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद—देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
7. प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय, ऋषिकेश।

11/12/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं0–1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 हे0 वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/SCH/40755/2019)

जनपद–देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं0–1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन का नवीनीकरण हेतु 2.41 हे0 वन भूमि का के0वी0 ऋषिकेश को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 2.41 हे0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–देहरादून/प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है। उक्त परियाोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–।। में अंकित सूचना के अनुसार वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या शून्य है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(D. J. K. Sharma)
(डी0जे0के0 शर्मा)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः

तिथि : 11 / 12 / 2020
स्थान : देहरादून